# पारिवारिक न्यायालय
# अथवा कुटुम्ब न्यायालय
# (फैमली कोर्ट)

# प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

**(दीपक गुप्ता)**
**सदस्य सचिव**

कुटुम्ब न्यायालय का विषय परिवार में होने वाले न्यायिक विवादों से संबंधित है जो कि पारिवारिक संबधों से संबंधित है।

परिवार को आम सहमति से समाज का अत्याधिक महत्वपूर्ण एवं मुख्य अंग माना जाता है । इसका मुख्य उददे्श्य परिवार में स्थिरता एवं निरंतरता लाना तथा परिवार के सदस्यों के मध्य निष्ठा एवं विश्वास की भावना को संभालता है। जब परिवार के सदस्यों के मध्य स्थिरता, निष्ठा एवं विश्वास को किसी पारिवारिक विवाद से खतरा होता है तब विधि का कार्य शुरू होता है। मुख्य दुविधा यह है कि न्यायिक तंत्र जो मुख्यता संघर्ष के वातावरण में संचालित होता है का उपयोग किस तरह किया जाए, कि वह ऊपर बताए गए उद्दश्यों को क्षति न पहुंचाए।

परिवार से संबंधित विवादों का न्यायिक निर्णय न ही सिर्फ विवाद से संबंधित पक्षों पर प्रभाव डालता है बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा, इस प्रकार के मुकदमों में न्यायालय के निर्णय का अन्य परिवारों पर भी लंबे समय तक प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जिससे पति या पत्नी द्वारा किया गया निश्चित व्यवहार क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा से इस प्रकार के व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी तरफ यह निर्णय कि एक निश्चित प्रकार का व्यवहार को क्रुरता का परित्याग माना जाएगा, समाज में सभी परिवारों के मध्य झगड़ों को बढ़ावा दे सकता है।

यह सभी पहलू यह दर्शाते हैं कि सामान्य न्याय तंत्र परिवारों से संबंधित विवादों को सुलझाने में असफल हैं इस अनुभूति के परिणाम स्वरूप भारत के अंदर एवं बाहर कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना का आंदोलन शुरू हुआ। परंतु इस बात से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि कुटुम्ब न्यायालय समस्या का हल निकाल सकते हैं अपितु यह न्यायालय इस ओर एक शुरूआत मात्र है।

पारिवारिक विधि कई क्षेत्रों, मानव विज्ञान, विधि, नियमों मनोविज्ञाान एवं धर्म को मिलाने वाला स्थान है। मात्र एक दृष्टिकोण एवं एक उद्देश्य यह कार्य नहीं कर सकता। लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि परिवार से संबंधित विधि के सिर्फ विधिक हैं। मनुष्यों से संबंधित अनेक विषय हैं जो अभी तक अनछुए हैं। कुटुम्ब न्यायालय इस ओर एक शुरूआत है जो यह दिखाता है कि मनुष्य के विचार पारिवारिक विधि में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा इसे मुकदमेंबाजी में नहीं डालना चाहिए।

# 1. प्रारंभिक (Preliminary)

**1. कुटुम्ब न्यायालय क्या है ?**

कुटुम्ब न्यायाल पारिवारिक विवादों के निराकरण के लिए गठित विशेष प्रकार के न्यायालय हैं संक्षिप्त में, यह न्यायालय विवाद, तलाक, भरणपोषण, संरक्षण एवं पति-पत्नी की संम्पति से संबंधित वादों का निराकरण करते हैं। इनका गठन कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 83) के अंतगर्त किया गया है।

**2. कुटुम्ब न्यायालय का उद्देश्य क्या है ?**

जैसा कि विधान मण्डल द्वारा बताया गया है, कुटुम्ब न्यायालय का उद्देश्य विवाह एवं परिवार से संबंधित विवादों का निपटारा सुलह के माध्यम से जल्द से जल्द करना है इसके अलावा, अन्य सामान्य न्यायालय अपना कार्य कैसे करें कि तरीके एवं प्रक्रिया रूढ़ीवादी माहौल के कारण पारिवारिक विवादों का निपटारा सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। यह भी महसूस किया जाता है कि परिवार से संबंधित सभी मुद्दों का निपटारा एक ही न्यायालय द्वारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

**3. कुटुम्ब न्यायालय के लिए आंदोलन किस प्रकार शुरू हुआ ?**

आधुनिक रूप में कुटुम्ब न्यायालय के आंदोलन की शुरूआत पश्चिम देशों से मानी जाती है। इस आंदोलन की शुरूआत का आधार इस बात की अनुभूति है कि पारिवारिक विवादों के निपटारे का तरीका पारम्परिक न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके से भिन्न होना चाहिए। यह आन्दोलन मुख्य रूप से अमरीका में चर्चित हुआ (जहॉ कुछ राज्यों में कुटुम्ब न्यायालय का गठन किया गया) इस देश में जल्द ही यह दिखाई देने लगा कि पारिवारिक विवादों से संबंधित क्षेत्राधिकार को अन्य न्यायालय को देना अत्यधिक असुविधाजनक है तथा एक संगठित कदम की आवश्यकता है, यह तभी मुमकिन है यदि एक ही न्यायालय सभी प्रकार के पारिवारिक वादों का निपटारा कर सके। भारत में विधि आयोग की 59 वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी।

**4. क्या अन्य देशों में भी कुटुम्ब न्यायालय उपलब्ध हैं?**

अमरीका में काफी लंबें समय से एवं जापान में 1948 से कुटुम्ब न्यायालय कार्यरत हैं। पिछले दशक, कुछ राष्ट्रमंडल देश जैसे आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में भी कुटुम्ब न्यायालय की स्थपना की गई है। भारत में पारसी पारिवारिक न्यायालय (Parsi Matrimonial) जो पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936 (Parsi Marriage and Divorce Act, 1936) के अंतर्गत कार्यरत है, कुटुम्ब न्यायालय से मिलती जुलती है क्योंकि आम पारसी जो अधिवक्ता नहीं है, न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के साथ बैठते हैं।

## 2 कुटुम्ब न्यायालय का गठन
## (Establishment of Family Courts)

**5. कुटुम्ब न्यायालय का गठन किस प्रकार होता हैं?**

केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी राज्य में कुटुम्ब न्यायालय के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी करने के पश्चात राज्य सरकार (उच्च न्यायालय की सलाह से) राज्य में कुटुम्ब न्यायालय का गठन करती है।

**6. किस क्षेत्र के लिए कुटुम्ब न्यायालय का गठन किया जाता हैं?**

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के पारित होने पर राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि, राज्य सरकार (उच्च न्यायालय की सलाह से) सभी शहरों एवं कस्बों में जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है, में कुटुम्ब न्यायालय की स्थपना करें। अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा (उच्च न्यायालय की सलाह से) कुटुम्ब न्यायालय का गठन एच्छिक है।

**7. कुटुम्ब न्यायालय का संगठन कैसे होता है ?**

कुटुम्ब न्यायालय एक या एक से अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से की जाती है। यदि कुटुम्ब न्यायालय का गठन एक से

अधिक न्यायाधीश से किया जाता है तो, राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से एक प्रधान न्यायाधीश एवं अन्य सहप्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकती है।

**8. कुटुम्ब न्यायालय कहाँ बैठती है?**

कुटुम्ब न्यायालय के बैठने का स्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह आवध्यक है कि कुटुम्ब न्यायालय के बैठने का स्थान अन्य साधारण दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय से अलग हो। कुटुम्ब न्यायालय आने वाले वादी फौजदारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले वादियों से अलग होते हैं। यह आवश्यक है कि अधिनियम में इससे संबंधित विशेष प्रावधान दिए जाए। यह भी आवश्यक है कि वादी की सहुलियत को देखते हुए बड़े शहरों में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग न्यायालय की व्यवस्था कि जाए।

**9. कुटुम्ब न्यायालय में नियुक्ति के लिए न्यायाधीश की क्या योग्यता होनी चाहिए?**

एक व्यक्ति जो भारत में कम से कम सात वर्षो के लिए न्यायिक अधिकारी रहा हो या किसी अधिकरण का सदस्य रहा हो या भारतीय सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर स्थापित रहा हो जिसके लिए विधि के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है (ii) कम से कम सात वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। इसके अलावा, ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायधीश की सलाह से निर्धारित योग्यता रखता हो, कुटुम्ब न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है 62 वर्ष की आयु से अधिक आयु के व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

**10. क्या निर्धारित योग्यता को विस्तार की आवश्यकता है?**

इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती है ऐसा व्यक्ति जिसने मुख्यतः कुटुम्ब न्यायालय के साथ मिलकर सामाजिक कार्य एवं परामर्श का कार्य किया हो एंव विधि का ज्ञान रखता है, कुटुम्ब न्यायालय का न्यायधीश नियुक्त किया जा सकता है यदि वह आसाधरण रूप से योग्य है। यह अधिनियम के अंतर्गत कुटुम्ब न्यायालय के निर्धारित

कार्य, विवाह की संस्था की सुरक्षा करना एवं बच्चों के विकास को बढ़ावा देना के अनुरूप होगा।

**11. कुटुम्ब न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए?**

अधिनियम में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति का चयन करते समय इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति विवाह की संस्था को सुरक्षित रखने में एवं बच्चों के विकास के लिए समर्पित हो, ताकि वह व्यक्ति परामर्श एवं मध्यस्थता कराने में समक्ष हो।

**12. क्या कुटुम्ब न्यायालय में महिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है ?**

अधिनियम के अंतर्गत महिला न्यायधीश को न ही सिर्फ नियुक्ति किया जा सकता है, बल्कि उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

**13. क्या समाज सुधारक संस्थएं कुटुम्ब न्यायालय के साथ जुड़ सकती है?**

कुटुम्ब न्यायालय को कुछ संस्थाओं एवं व्यक्ति से जोड़ने के संबंध में नियम बनाए जा सकते है सहयोजन निम्नलिखित तरीके का हो सकता है:-

(अ) सामाजिक सुधार से संबंधित संस्थाए या सभा (या उनके प्रतिनिधि)

(ब) व्यवसायिक रूप से पारिवारिक सुधार से जुड़े व्यक्ति और

(स) सामाजिक सुधार क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति और

(द) अन्य व्यक्ति जो न्यायालय के साथ मिलकर इसके क्षेत्राधिकार को प्रभावी रूप से वहन करने में न्यायालय की मदद कर सकें ।

**14. क्या कुटुम्ब न्यायालय सलाहकार की सेवाएं ले सकते हैं?**

राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सलाह से सलाहकारों अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की संख्या एवं वर्ग का निर्धारण करती है जो कुटुम्ब न्यायालय की सहायता करें।

**15. क्या अधिनियम के अतंगर्त दिए गए परामर्शता से संबंधित प्रावधान में सुधार किया जा सकता है?**

शुरूआत में परामर्शता की सेवा प्रदान करने के लिए तंत्र की आवश्यकता है। यदि न्यायिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पहले, किसी पक्ष को परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती है जो प्रकरण को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें से रोका जा सकता है एवं खुशहाल वैवाहिक जीवन को बढ़ावा मिल सकता है।

**16. क्या परामर्शदाता द्वारा दी गई राय विधि के अन्दर गोपनीय है?**

वर्तमान में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम (धारा 6,11,12) के अंतगर्त न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह परामर्शदाता की सेवाएं ले सकते है और बंद दरवाजों (in camera) में कार्यवाहक कर सकते हैं। परंतु अधिनियम में परामर्शदाता के साथ बैठक की गोपनीयत से संबंधित अभिवक्त प्रावधान नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत किसी पक्ष एवं परामर्शदाता के मध्य की बातचीत को किसी अन्य कार्य में उपयोग को रोकने से संबंधित अभिव्यक्त प्रावधान की आवश्यकता है।

## 3. पारिवारिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of Family Courts)

**17. कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष किस प्रकार के वाद प्रस्तुत किए जाते हैं?**

अधिनियम धारा 7 (1) स्पष्टीकरण, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के अनुसार कुटुम्ब न्यायालय को विवाह, तलाक, भरण-पोषण एवं संरक्षण से संबधित वाद एवं कार्यवाही का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

विस्तार में समझने के लिए, कुटुम्ब न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं :-

(i) विवाह को शून्य घोषित करने में, वैवाहिक अधिकार को पुर्नस्थापित करने में न्यायिक संबंध विच्छेद एवं विवाह विच्छेद।

(ii) विवाह या विवाह की स्थिति की विधिमान्यता घोषित करने में।

(iii) पति-पत्नी के मध्य कार्यवाही होने पर दोनों की संपति के संबंध में।

(iv) विवाह के दौरान आदेश या व्यादेश।

(v) किसी व्यक्ति के विधिसंगत होने की घोषण संबंधी

(vi) भरण-पोषण, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 की कार्यवाही संहित।

(vii) किसी अवस्यक के संरक्षक या अभिरक्षा या पहुँच के संबंध में।

(viii) किसी अन्य विधि के अंतगर्त दिए गए क्षेत्राधिकार के संबंध में।

**18. क्या कुटुम्ब न्यायालय के गठन से विवाह से संबंधित पक्षों एवं अन्य व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों एवं राहत में बढ़ोत्तरी हुई हैं?**

नहीं, अधिनियम द्वारा वैवाहिक राहत या पारिवारिक विधि में दिए गए जिनकी सुनवाई जिला-न्यायालय को उन मामलों में क्षेत्राधिकार दिया गया है जिनकी सुनवाई जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या (भरण-पोषण से संबंधित वाद में) सक्षम न्यायालय द्वारा की जाती है।

**19. क्या पारिवारिक न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार को किसी अन्य न्यायालय द्वारा उपयोग किया जा सकता है?**

नहीं। किसी क्षेत्र विशेष के लिए कुटुम्ब न्यायालय का गठन होने के पश्चात मात्र वही न्यायालय (किसी विशेष मामले में) अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकती है। इन मामलों में न तो जिला न्यायालय न अधीनस्थ न्यायालय और न ही मजिस्ट्रेट को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि अन्य न्यायालयों में लम्बित मामलों को भी कुटुम्ब न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।

## 4. न्यायालय का दृष्टिकोण (Approach of the Courts)

**20. क्या अधिनियम में न्यायालय के दृष्टिकोण से संबंधिकत विशेष प्रावधान दिए गए हैं?**

प्रथम दृष्टया (वाद की प्रकृति एवं परिस्थित के अनुरूप) यह आवश्यक है कि कुटुम्ब न्यायालय किसी वाद या कार्यवाही के दौरान मामले का निपटारा करने में पक्षों की सहायता करें।

**21. मुकदमों को सुलझाने के लिए कुटुम्ब न्यायालय द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए?**

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 9 (1) के अंतगर्त मुकदमों के समझौतों के लिए कुटुम्ब न्यायालय को उपयुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। पंरतु यह अधिनियम की धारा (21) (स) के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रावधानों के अंतगर्त है।

**22. प्रभावकारी समझौते के लिए कुटुम्ब न्यायालय किसकी सहायता प्राप्त कर सकता है ?**

अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत कुटुम्ब न्यायालय के कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए न्यायालय चिकित्सा विशेषज्ञ या न्यायालय की राय में उपयुक्त, व्यक्ति की सेवाएं ले सकती है। यदि

उपलब्ध हो तो अन्य व्यक्ति (चिकित्सा विशेषज्ञ के अलावा) महिला होनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति पक्षों का संबंधी हो (हालांकि यह आवश्यक नहीं है)। उपयुक्त परिस्थिति में उन व्यक्तियों की सहायता भी ली जा सकती है जो व्यवसायिक रूप से परिवार की बढ़ोत्तरी को बढ़ावा देने में कार्यरत हो।

**23. क्या कुटुम्ब न्यायालय की कार्यवाही आम जनता के लिए उपलब्ध है?**

यदि कुटुम्ब न्यायालय चाहे तो कार्यवाही बंद कमरे में की जा सकती है। अगर किसी भी पक्ष की इच्छा हो तो कार्यवाही बंद कमरे के अंदर की जाती है।

## 5. न्यायालय कि भाषा (Language of the Courts)

**24. कुटुम्ब न्यायालय की भाषा कैसी होनी चाहिए ?**

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम में भाषा से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है। प्रत्येक राज्य में (Civil Courts Act) के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक न्यायालय की भाषा निर्धारित करती है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 21 एवं धारा 23 के अंतगर्त उच्च न्यायालय या राज्य सरकार कुटुम्ब न्यायालय की भाषा निश्यित कर सकते हैं। परंतु यह आवश्यकता महसूस की जाती है कि अधिनियम के अंतगर्त ही यह प्रावधान दिए जाए कि कुटुम्ब न्यायालय की कार्यवाहियों की भाषा उस क्षेत्र की भाषा हों (निर्णय अंग्रेजी भाषा में लिखे जा सकते हैं) कुटुम्ब न्यायालय की कार्यवाही नागरिक के निजी जीवन से संबंधित है। यह आम आदमी के जीवन के अहम पहलू के बारे में बात करते हैं। यदि पहलू को सही तरीके से समझाना व सुलझाना है, तो यह आवश्यक है कि पक्षों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा में कार्य किया जाए। कुटुम्ब न्यायालय की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि न्यायालय, परामर्शदाता एवं पक्षों के मध्य सामंज्यस स्थापित किया जाए।

## 6. घर में बैठक
## (Sittings at the residence)

**25. क्या कुटुम्ब न्यायालय की कार्यवाही पक्षों के घर में की जा सकती है?**

धारा 21 (2) (b) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि व कुटुम्ब न्यायालय की बैठक किसी अन्य स्थान पर करने के लिए नियम बना सकती है। यह एक उपयुक्त प्रावधान है एवं इसका अधिक उपयोग किया जाए खासकर उस स्थिति में जहाँ बच्चे शामिल हों। अधिनियम के अंतगर्त हि यह प्रावधान होना आवश्यक है कि जिन वादों में बच्चे शामिल है एवं उनकी राय लेना आवश्यक है वहाँ न्यायालय संभव होने पर कार्यवाही माता-पिता अथवा दोनों में से किसी एक के घर में संचालित करें।

## 7. बैठक का स्थगित करना
## (Adjournment of sittings)

**26. क्या कुटुम्ब न्यायालय स्वयं की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है?**

अन्य न्यायालयों की तरह कुटुम्ब न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उपयुक्त कारण होने पर न्यायालय की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। मुख्यतः उस परिस्थिति में जहाँ कुटुम्ब न्यायालय को लगता है कि किसी वाद या कार्यवाही में समझौता हो सकता है तो कुटुम्ब न्यायालय कार्यवाही को उचित समय के लिए स्थगित कर सकता है, ताकि समझौता किया जा सके।

## 8. सामान्यतः अपनाई जाने वाली कार्यवाही (Procedure generally followed)

**27. सामान्यतः कुटुम्ब न्यायालय द्वारा कार्यवाही के दौरान कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है ?**

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (1) के अंतगर्त यह प्रावधान है कि किसी वाद एवं कार्यवाही के दौरान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Civil Procedure Code) की धारा 125 के अंतर्गत दायर भरण पोषण के बाद की कार्यवाही दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार की जाएगी। यह कुटुम्ब न्यायालय के अंतगर्त विशेष एवं उच्च न्यायालय द्वारा धारा 21 के नियमानुसार एवं कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 23 के अंतगर्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अंतगर्त होगी।

**28. क्या कुटुम्ब न्यायालय स्वयं के द्वारा निर्मित प्रक्रिया को अपना सकता है?**

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (3) के अनुसार अधिनियम में वह प्रावधान जो सिविल प्रक्रिया संहिता या दण्डप्रक्रिया संहिता का पालन करते है, कुटुम्ब न्यायालय को स्वयं की प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकता है। इसका मुख्य उद्देश्य वाद या कार्यवाही की विषय वस्तु का निपटारा करने या तथ्यों की सच्चाई पता लगाना होता है।

## 9. अधिवक्ता/वकील की मदद (Right to Lawyer)

**29. क्या सिविल न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता पक्षों की मदद कर सकता है?**

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 13 में यह प्रावधान है कि किसी अन्य विधि में दिए गए प्रावधान के अलावा कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष दायर वाद या कार्यवाही में किसी भी पक्ष को अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

परंतु विधि के हित में होने पर कुटुम्ब न्यायालय ''एमाइकस क्यूरई'' के रूप में विधि विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

**30. एमाइकस क्यूरई** (Amicus Curiae) **का क्या तात्पर्य है ?**

एमाइकस क्यूरई (Amicus Curiae) न्यायालय का साथी होता है। इसका कार्य होता है कि वह न्यायालय के समक्ष उन तथ्यों को पेश करे जिनको पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है।

**31. क्या न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार देने से इंकार किया जाना उचित है?**

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 13 का यह प्रावधान कठिनाई और अन्याय को बढ़ाएगा। यह प्रावधान इस संकल्पना पर आधारित है कि पारिवारिक बाद सामान्य प्रकृति के होते है जिनके लिए अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है। यह गलत अवधारणा है। इस क्षेत्र में प्रकाशित निर्णय यह दिखाते हैं कि तथ्यों एवं विधि से संबंधित विवाद जटिल होते हैं। अधिवक्ता इन प्रश्नों को उचित रूप से बना एवं सुसंगत एवं असुंसगत तथ्यों को अल्ग कर सकते हैं। कोई पक्ष ऐसा नहीं कर सकता है। पक्ष स्वयं इतने चिंतित होते है कि कई बार असली समस्या एवं को देख ही नहीं पाते हैं एवं भ्रमित हो जाते हैं। इसके अलावा, यदि अधिवक्ताओं को इन न्यायालयों में अधिकार नहीं दिए गए तो कुटुम्ब न्यायालय में अधिवक्ताओं की संस्था का निर्माण नहीं हो सकता। इसका मतलब यह होगा कि कुटुम्ब न्यायालय न्यायपालिका के स्त्रोत की नियुक्ति नहीं हो सकेगी । यह सभी तथ्य कुटुम्ब न्यायालय द्वारा न्याय की गुणवता में बाधा डाल सकते हैं।

# 10. साक्ष्य/सबूत (Evidence)

**32. क्या कुटुम्ब न्यायालय, साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) से बाध्य है?**

कुटुम्ब न्यायालय किसी रिपोर्ट, विवरण, दस्तावेज, सूचना या अन्य विषय को साक्ष्य में स्वीकार करने के लिए सक्षम है, यदि न्यायालय के विचार में यह विवाद को निपटाने में समुचित रूप से सहायता कर सकते है। यह आवश्यक नहीं है कि यह साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार करने योग्य हो।

**33. कुटुम्ब न्यायालय में साक्ष्यों को कैसे अभिलिखित किया जाता है?**

कुटुम्ब न्यायालय साक्ष्यों को गवाहों के समक्ष अभिलिखित करने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे-जैसे गवाहों का परीक्षण होता है न्यायाधीश स्वयं या अन्य किसी के द्वारा बयान के सार को ज्ञापन के रूप में रिकार्ड करते है। यह ज्ञापन गवाह एवं न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित होता है एवं दस्तावेजों का एक भाग होता है।

**34. क्या कुटुम्ब न्यायालय गवाहों की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी कर सकता है या दस्तावेजों की मांग कर सकता है?**

हाँ क्योंकि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (1) के अंतर्गत कुटुम्ब न्यायालय को सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त हैं।

**35. तथ्यों की विवचना के लिए कुटुम्ब न्यायालय का क्या दृष्टिकोण होत है?**

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (3) के अंतर्त, कुटुम्ब न्यायालय स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है ताकि वह तथ्यों की विवेचना कर सके।

**36. क्या कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र के द्वारा साक्ष्य दिए जा सकते हैं?**

कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही के दौरान औपचारिक साक्ष्यों को शपथ पत्र के द्वारा दिया जा सकता है। हालांकि शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को न्यायालय आवश्यकता होने पर समन भेज कर बुला सकती है। इसके अलावा, इसके लिए किसी पक्ष द्वारा आवेदन किए जाने पर कुटुम्ब न्यायालय उस व्यक्ति को सम्मन भेजने के लिए बाधित है।

**37. कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष गवाहों का परीक्षण किस प्रकार किया जाता हैं?**

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के अंतगर्त गवाहों के परीक्षण के क्रम को नहीं बताया गया है। परन्तु आश्यसाक्ष्यों का यह है कि सिविल न्यायालय होने के कारण कुटुम्ब न्यायालय सामान्य क्रम का पालन करेगी इसका तात्पर्य है कि जिस पक्ष द्वारा गवाह को बुलाया गया है वही पक्ष उस गवाह को ''मुख्य परीक्षण'' (examination-in-chief) साक्ष्यों के माध्यम से सर्वप्रथम परीक्षण करेगी। इसके बाद दूसरा पक्ष ''प्रतिपरीक्षा'' (cross-examine) करेगी। इसके बाद दूसरा पक्ष ''प्रतिपरीक्षा'' (cross-examine) करेगी जिसके पश्चात् जिस पक्ष ने गवाह को बुलाया है वह पुनः परीक्षण (re-examine) करेगी। पुनः परीक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिपरीक्षण के दौरान सदिग्ध प्रश्नों को सुलझाना होता है। पुनःपरीक्षण के दौरान न्यायालय के अनुमति के बिना नए मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता है।

# 11. निर्णय (Judgement)

**38. क्या आवश्यक है कि कुटुम्ब न्यायालय लंबे निर्णय लिखे?**

कुटुम्ब न्यायालय के निर्णय में निम्नलिखित वस्तुए होनी चाहिए-(अ) विवाद का संक्षिप्त विवरण, (ब) विचारणीय बिंदु (स) विचारणीय बिंदू पर निर्णय तथा (द) निर्णय का कारण। यह माना जाता है कि कुटुम्ब न्यायालय के निर्णयों में साक्ष्यों का विस्तारपूर्वक लिखा जाना आवश्यक नहीं है। साथ ही चूंकि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथ्य एवं

विधि के प्रश्नों पर उच्च न्यायालय में अपीलीय है इसलिए यह आवश्यक है कि कारण एवं निष्कर्ष को साफ शब्दों में लिखा जाए।

**39. कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को किस प्रकार निष्पादित किया जाता है?**

कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित डिक्री सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के समान ही है एवं उसी प्रकार निष्पादित की जाती है। यदि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा दण्डिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की द्वारा 125 के अंतगर्त भरण-पोषण के बाद में आदेश पारित किया गया है तो उसका निष्पादन दाण्डिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार होगा।

उचित होने पर कुटुम्ब न्यायालय डिक्री या आदेश को निष्पादन के लिए साधारण सिविल न्यायालय में भेज सकती है।

## 12. अपील (Appeal)

**40. क्या कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलीय होते हैं?**

कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपील की जा सकती है। इसके अलावा वह आदेश जो अंतवर्ती नहीं है भी अपीलीय है।

**41. अंतवर्ती आदेश क्या है?**

अंतवर्ती आदेश वह आदेश है जो किसी वाद के किसी बिंदु को गुणागुण के आधार पर निधार्रित नहीं करते है ब्लकि कार्यवाही के दौरान आने वाले मामलों को निर्धारित करते है। उदाहरण के लिए, किसी साक्षी की उपस्थित के लिए समन जारी न करने का आदेश अंतरिम भरण-पोषण का आदेश, किसी दस्तावेज को पेश करने का आदेश स्थगन निरस्त करने का आदेश आदि अंतवर्ती आदेश है।

**42. कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपील कहाँ की जाती है?**

अपील उच्च न्यायालय में की जाती है।

**43. क्या पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश या डिक्री की अपील की जा सकती है?**

नहीं।

**44. कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपील किए जाने के क्या आधार हो सकते है?**

अपील तथ्यों एंव विधि, दोनों के आधार पर की जा सकती है।

**45. क्या कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पुनिरिक्षण किया जा सकता है?**

नहीं, कुटुम्ब न्यायालय की धारा 9 (3) के अंतगर्त यह वर्जित है।

**46. कितने समय के अंदर अपील की जानी चाहिए?**

कुटुम्ब न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश पारित किए जाने की दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील की जाना चाहिए। परीसीमा अधिनियम 1963 (Limitation Act) के अंतगर्त निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय भी जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी उचित कारण से पक्ष निर्धारित समय अवधि में अपील नहीं कर सका है तो परीसीमा अधिनियम 1963 के अंतगर्त अपीलीय न्यायालय विलम्ब को छूट दे सकती है।

**47. कितने न्यायाधीश अपील की सुनवाई करते हैं?**

परीसीमा अधिनियम 1963 की धारा 19 (5) के अनुसार कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में दो या दो से अधिक न्यायाधीशों से गठित पीठ द्वारा की जाएगी।

**48. क्या उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है?**

यह संविधान के प्रावधानों से संबंधित है। मुख्यतः संविधान से संगंठित होने पर या (संविधान से संबेधित न होने पर) उच्च न्यायालय के यह

प्रभावित किए जाने पर कि किसी बात में विधि का है जिसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, सिर्फ उन्हीं मुद्दों की अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र देता है, उदाहरण के लिए किसी पर उच्च न्यायालय के अलग-अलग निर्णय मौजूद है। इसके अलावा बार-बार उठने वाले व महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक होने पर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की विशेष अनुमति दे सकती है।

**49. तलाक की डिग्री के विरूद्ध की गई अपील में पक्षों की क्या हैसियत होती है?**

यह मुद्दा मुख्य विधि के अंतर्गत आता है जिसके अनुसार याचिका दायर की जाती है। सामान्यतः भारत में विवाह से संबंधित विधि इस मुद्दे पर रोक लगाती है। जिन पक्षों के विवाह विच्छेद की डिग्री पारित की गई हो वह अपील के लंबित रहने तक दोबारा विवह नहीं कर सकते है।

## 13. अंतरित एवं अंतिम सहायता (Interim and final relief)

**50. कुटुम्ब न्यायालय द्वारा किस प्रकृति की अंतरिम सहायता दी जा सकती हैं?**

जिस विधि के अंतगर्त याचिका दायर की गई है उसके अनुसार कुटुम्ब न्यायालय हर प्रकार की अंतरिम सहायता देने में सक्षम है।

**51. अंतिम निर्णय में कुटुम्ब न्यायालय किस प्रकार की सहायता दे सकती है?**

जिस विधि के अंतगर्त याचिका दायर की गई उसके अनुसार कुटुम्ब न्यायालय सभी प्रकार की सहायता दे सकती है। कुटुम्ब न्यायालय का क्षेत्राधिकार पक्षों को विनियमति करने वाली विधि के अनुसार होता है। इसलिए यदि पक्ष हिन्दू है तो कार्यवाही हिन्दू विवाह अधिनियम के

अनुसार होगा एवं न्यायिक सहायता एवं अन्य सहायता की प्रकृति हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार होगी। यदि पक्षकार ईसाई है तो कार्यवाही भारतीय अधिनियम (Indian Divorce Act) 1869 के अनुसार होगी। इसलिए किन आधारों पर तलाक मांगा जा सकता है एवं अंतिम निर्णय जैसे मुद्दे Indian Divorce Act के अनुसार संचालित किए जाऐंगे। यदि पक्षों ने Special Marriage Act के अंतगर्त विवाह किया है तो इन सभी मुद्दों का निर्धारण इस विधि के अनुसार होगा। कुटुम्ब न्यायालय सिर्फ उस न्यायालय का स्थान ले लेती है जिसका पक्षों को संचालित करने वाली सारभूत विधि के अंतर्गत क्षेत्राधिकार बनता है।

# 14. अन्य विधि से संबंध (Relationship of other law)

**52. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 का अन्य विधियों से कैसे संबंध हैं?**

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम को अन्य विधि के साथ देखा जाना चाहिए। यह सम्पूर्ण अधिनियम*नहीं है। यह विवाह विच्छेद के आधार, विवाह को निष्प्रभाव करने के आधार या अन्य वैवाहिक सहायता प्रदान नहीं करता है। न ही यह अन्य अंतरिम सहायता या भरण-पोषण, निर्वाह व्यय, बच्चों की अभिरक्षा, सम्पत्ति का वितरण आदि विषय को स्थापित करती है। यह सभी मामले/विषय संबंधित अधिनियम के अनुसार निर्धारित किए जाते है।

**53. क्या किसी व्यक्ति को कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से छूट प्राप्त है?**

किसी भी व्यक्ति को कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के क्षेत्राधिकार से छूट प्राप्त नहीं है। धारा 7 (1) स्पष्टीकरण के अंतर्गत उल्लेखित मामलों में कुटुम्ब न्यायालय को स्वयं ही क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है चाहे व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय का हो। हालांकि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा प्रशासित विधि उस व्यक्ति पर लागू विधि ही होगी (अर्थात स्वीय विधि)

**54. क्या कुटुम्ब न्यायालय (Dowry Prohibition Act, 1961) या महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की सुनवाई कर सकता है?**

वर्तमान में कुटुम्ब न्यायालय को ऐसे अपराधों की सुनवाई का अधिकार नहीं है। हालांकि, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 7 (2) के अंतर्गत विधान मण्डल कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है एवं धारा 7 (1) स्पष्टीकरण में उल्लखित मुद्दों से अन्य मुद्दों को सुनवाई का अधिकार दे सकती है।

**55. कौन सी अन्य विधि परिवार से संबंधित मुकदमों की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान देती है?**

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1976 में संशोधित) में ऐसे मुकदमों की प्रक्रिया के संबंध में विशेष अध्याय दिया गया है*। इस अध्याय में यह बताया गया है कि इन मुकदमों से कैसे निपटा जाए। इस अध्याय के ज्यादातर प्रावधान उस वक्त बनाए गए जब कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम तैयार किया जा रहा था।

## 15. नियम (Rules)

**56. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत किन प्राधिकारीयों को नियम बनाने की शक्तियाँ प्राप्त है?**

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम निम्न तीन प्राधिकारियों को यह शक्ति प्रदान करता हैः

(i) केन्द्रीय सरकार (धारा 22)

(ii) उच्च न्यायालय (धारा 21)

(iii) उच्च न्यायालय की सहमति के बाद राज्य सरकार (धारा 23)

केन्द्रीय सरकार की शक्तियां कुटुम्ब न्यायालय के न्यायधीशों की योग्यता से संबंधित नियम बनाने तक सीमित है। उच्च न्यायलय की शक्तियां अगले में बताई गई है।

**57. उच्च न्यायालय किन मुद्दों पर नियम बना सकती है?**

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत उच्च न्यायालय इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियम बना सकती है। इसमें बैठक के समय एवं स्थान तथा समझौता की प्रक्रिया निर्धारित करना शामिल है।

**58. किन मुद्दों के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकती है?**

इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धारा 23 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सलाह के पश्चात नियम बना सकती है। इससे कुटुम्ब न्यायालय के न्यायधीशों अधिकारियों एवं सलाहकारों की आय, विशेषज्ञों की फीस तथा अन्य खर्चे सम्मलित है। कई बार उच्च न्यायालय तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम (समान) हो सकते है। हालांकि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के सलाह के पश्चात ही नियम बनाती है परंतु आम नागरिक के अलग-अलग स्त्रोत में नियमों को अलग इन्हें ढूढना आसान नहीं होता है। हर परिस्थिति में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होनी चाहिए (व केन्द्रीय सरकार को सिमित शक्तियां दी जानी चाहिए।)

# 16. विधि तक पहुँच (Acess to legislation)

**59. अधिनियम की प्रतिलिपियॉं कहॉं से प्राप्त की जा सकती है?**

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम प्रतिलिपि भारतीय सरकार प्रकाशन के अभिकर्ता से प्राप्त की जा सकती है। यह भी सुझाव दिया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत पारित नियम एवं अधिसूचना के सस्ते संस्करण आम जनता को उपलब्ध कराए जाना चाहिए।

**60. क्या कुटुम्ब न्यायालय इस मामले में सहायता कर सकती है?**

हाँ कुटुम्ब न्यायालय पर्चो की सहायता से न्यायालय की शक्तियाँ एवं प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दे सकती है। इन पर्चों को कुटुम्ब न्यायालय के दफ्तर द्वारा मुफ्त में पक्षकारों को तथा भावी पक्षकारों को वितरित किया जा सकता है।

## 17. कुटुम्ब न्यायालय का वातावरण (Environment of the Family Court)

**61. क्या कुटुम्ब न्यायालय का वातावरण अन्य न्यायालय के समान है?**

अधिनियम में यह दिया जाना चाहिए कि कुटुम्ब न्यायालय का वातावरण अन्य न्यायालयों से भिन्न होना चाहिए। इसका वास्तुशिल्प सम्मानजनक होना चाहिए। इसका वातावरण खुशनुमा होना चाहिए एवं प्रवेश द्वारा पर एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए जो पक्षकारों को तसल्ली दे सके। यह मुकदमों के सुलझाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। अधिनियमों एवं न्यायधीशों को काला कोर्ट पहनना आवश्यक न हो न्यायधीशों को ऊँचे स्थान पर बैठने की जरूरत न हो। वातावरण आरामदायक होना चाहिए न की कठोर।

---000---